राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1575/2020

डॉ. कुलदीप पूनिया

–अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राज.)।
2. प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियत्रंक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर (राज.)
3. प्रमुख शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
4. उप–महाप्रबन्धक ट्रांजिट हॉस्टल, गांधीनगर, जयपुर (राज.)।
5. प्रबन्धक/मैनेजर ट्रांजिट हॉस्टल, गांधीनगर, जयपुर (राज.)।
6. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 01.05.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री जे आर चौधरी, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की नियुक्ति चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 16.03.2011 को हुई थी। वर्ष 2013 में अपीलार्थी का चयन पी.जी. (जनरल सर्जरी) में होने के बाद अपीलार्थी को प्रशिक्षण हेतु एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज जयपुर आवंटन हुई। अपीलार्थी ने पी.जी. कॉर्स के लिए जुलाई 2013 में एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेकर प्रशिक्षण प्रारम्भ कर दिया। अपीलार्थी को पी.जी. कॉर्स के दौरान अस्थाई आवास हेतु शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ग्रुप–5, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 05.08.2014 के द्वारा रहने के लिए न्यू ट्रांजिट हॉस्टल, गांधीनगर जयपुर में फ्लैट संख्या एफ–2/3 आवंटन हुआ। उक्त हॉस्टल में अपीलार्थी दिनांक 13.08.2014 से

दिनांक 24.08.2018 तक रहा। उक्त हॉस्टल में निवास अवधि के दौरान प्रथम वर्ष में मूल वेतन का 2.5 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में मूल वेतन का 5 प्रतिशत और तृतीय वर्ष में प्रथम 6 माह के लिए मूल वेतन का 5 प्रतिशत + 2.5 प्रतिशत और आगामी 6 माह के लिए मूल वेतन का 5 प्रतिशत + 2.5 प्रतिशत + 2.5 प्रतिशत (कुल 10 प्रतिशत) मूल वेतन में कटौती किये जाने का प्रावधान है तथा चतुर्थ वर्ष में मूल वेतन का प्रथम 6 माह के लिए 10 प्रतिशत व आगामी 6 माह के लिए 10 प्रतिशत + 2.5 प्रतिशत इस प्रकार कुल 12.5 प्रतिशत राशि मूल वेतन से लिये जाने का प्रावधान है। उक्त आवास एक वर्ष के लिए आवंटित किया जाता है और उक्त एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर आगामी वर्ष की स्वीकृति प्राप्त होने तक 2.5 प्रतिशत शास्ती (पैनल्टी) लगाये जाने का प्रावधान है और जब स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो शास्ती (पैनल्टी) राशि पुनः कर्मचारी के खाते में जमा करायी जाती है। अपीलार्थी ने उक्त फ्लैट संख्या एफ–2/3 में दिनांक 13.08.2014 से रहना प्रारम्भ किया। इसलिए माह अगस्त 2014 में अपीलार्थी 19 दिन तक उक्त फ्लैट में रहा। उस समय अपीलार्थी का मूल वेतन 10815/– रूपये था तथा उतनी ही राशि पर स्थाई फण्ड के रूप में 10815/– रूपये मिलते थे, परन्तु विपक्षी ने दोनों की राशियों को जोड कर मूल वेतन 21,630/– रूपये बताकर उस पर 2.5 प्रतिशत के हिसाब से 343/– रूपये किराये के रूप में अपीलार्थी से प्राप्त किये, जबकि विपक्षी संख्या 3 को अपीलार्थी के मूल वेतन 10,815/– रूपये पर 2.5 प्रतिशत के हिसाब से 19 दिन के राशि रूपये 171.50 ही लेने चाहिए, परन्तु विपक्षी ने मूल वेतन में स्थाई फण्ड राशि को शामिल करते हुए राशि 21,630/– रूपये पर 2.5 प्रतिशत के हिसाब से राशि 343/– रूपये वसूल किये गये, जो अवैध है। उसके बाद अपीलार्थी द्वारा आगामी माह के भी नियमानुसार किराया राशि का भुगतान किया, जिसके सम्बन्ध में प्रबन्धक ट्रांजिट हॉस्टल जयपुर द्वारा माह नवम्बर व दिसम्बर 2014 का किराया मूल वेतन की बजाय अपीलार्थी को मिलने वाले कुल वेतन 21,630/– रूपये पर 2.5 प्रतिशत व बिजली, पानी के कुल 1666/– रूपये अपीलार्थी से लिये गये। अपीलार्थी को पी.जी. कॉर्स के दौरान मूल वेतन के रूप में वर्ष 2014 से सितम्बर 2016 तक राशि 10815/– रूपये, अक्टूबर 2016 से अक्टूबर 2017 तक राशि 25770 रूपये और नवम्बर 2017 से फरवरी 2018 तक राशि 27771/– रूपये प्राप्त हुये जिसके हिसाब से ही नियमानुसार किराया वसूल किये जाने का प्रावधान है,

परन्तु विपक्षी ने अपीलार्थी को छात्रावास अवधि में मिलने वाली स्थाई फण्ड की राशि को मिलाकर एवं 7वें वेतन आयोग के आधार पर अगस्त 2017 से जुलाई 2018 की अपीलार्थी को मिलने वाली एरियर राशि में सम्मिलित करते हुए अपीलार्थी से किराये के रूप में 2,35,406/– रूपये वसूल करने बाबत् विपक्षी संख्या 5 ने अपीलार्थी को एक पत्र दिनांक 26.08.2019 को दिया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि प्रबन्धक ट्रांजिट हॉस्टल, गांधी नगर, जयपुर द्वारा मनमर्जी से 2,35,406/– रूपये (अक्षरे दो लाख पैंतीस हजार चार सौ छः रूपये) की बकाया राशि निकाल दिये।

2. उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने प्रार्थना की है कि बकाया किराया राशि की वसूली हेतु आदेश दिनांक 26.08.2019 (अनुलग्नक–13), 18.11.2019 (अनुलग्नक–14) एवं आदेश दिनांक 28.01.2020 (अनुलग्नक–15) अपास्त किया जाए।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी को समय–समय पर चार वर्ष में मूल वेतन बिजली राशि सहित कुल किराया राशि रूपये 3,42,631/– रूपये देय बनता है, जिसमें अपीलार्थी द्वारा मात्र रूपये 1,07,225/– ही जमा कराये गये है तथा शेष रही राशि रूपये 2,35,406/– अपीलार्थी द्वारा जमा करवानी चाहिए थी, जो बकाया चल रही है। अपीलार्थी से वर्ष 2014 से मूल वेतन के अनुसार ही किराया राशि वसूल की गई है। राज्य सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग जनवरी 2017 से लागू किया गया, जिसमें मूल वेतन में बढ़ोतरी की राशि तीन किश्तों में कर्मचारी को भुगतान करने के आदेश प्रसारित किये गये। अपीलार्थी द्वारा 7वें वेतन आयोग में निर्धारित मूल वेतन के अनुसार राशि जमा नहीं कराने के कारण पत्र दिनांक ट्रां.हो.ज./2019–20/456 दिनांक 26.08.2019 जारी किया गया।

4. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

5. प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलोच्य आदेश दिनांक 26.06.2019 का अवलोकन करें तो हम पाते हैं कि अपीलार्थी से दिनांक 01.01.2018 से 24.08.2018 की अवधि में मध्य का आवास किराया की बकाया राशि 2,35,406/– रूपये निकाली गयी है। प्रत्यर्थी विभाग ने यह तथ्य इस अधिकरण के समक्ष रखे हैं कि सातवां वेतन आयोग जनवरी, 2017 से लागू किया था, जिसमें मूल वेतन बढोतरी की राशि तीन किश्तों में कर्मचारी को भुगतान करने के आदेश प्रसारित किये गये। अपीलार्थी सातवें वेतन आयोग में निर्धारित मूल वेतन के

अनुसार राशि जमा नहीं कराने के कारण पत्र दिनांक 26.08.2019 जारी किया गया। हम यह भी पाते है कि अपीलार्थी जब पूर्व राशि जमा करायी थी, तत्समय मूल वेतन के आधार पर जमा करवायी थी। बाद में मूल वेतन में बढोतरी हो गयी थी, जो सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार लागू होने के कारण हुई थी। ऐसे में बढे हुए मूल वेतन के अनुसार किराया राशि की वसूली के आदेश पारित किये गये हैं, जो हम राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 27.10.2006 के अनुरूप होना पाते हैं, जिसमें वेतन पर निर्धारित प्रतिशत के आधार पर किराया राशि जमा कराने का प्रावधान है। अतः हम आलोच्य आदेश में कोई त्रुटि होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है। साथ ही अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 15.01.2021 निरस्त किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)